राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4482/2022

डॉ. नितेश कंवर शेखावत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2022
आदेश की दिनांक : 31.10.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : मीनाक्षी जैन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी J.S. (Gyane) के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन जनाना हॉस्पिटल, जयपुर से सीएचसी छापर, जिला चूरू में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीया के पति राजकीय सेवा में जयपुर जिले में ही कार्यरत है तथा राज्य सरकार की यह नीति भी रही है कि अगर पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाए या पास–पास जाए। परंतु यह स्थानांतरण इस नीति के विपरित जाकर किया गया है, जो गलत है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीया के सास–ससुर विभिन्न प्रकार की बिमारियों से ग्रसित है, तथा उनका ईलाज यही चल रहा है। साथ ही यह स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन से 400 किमी. दूर किया गया है। आगे उनका यह भी तर्क रहा है कि स्थानांतरण आदेश पारित होने के पश्चात् दिनांक 21.10.2022 को अपीलार्थीया को उप निदेशक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी का पद J.S. (Gyane) दर्शाया गया है। अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाये।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने के समय अपीलार्थी का पद J.S. (Gyane) था, परंतु दौराने अपील अपीलार्थी की पदोन्नति उप निदेशक के पद पर दिनांक 21.10.2022 के आदेश द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा हमारे ध्यान में यह भी तथ्य लाया गया है कि अपीलार्थीया के पति भी राजकीय सेवा में जयपुर जिले में ही है। राज्य सरकार की नीति, पति–पत्नी दोंनो राजकीय सेवा में होने पर उन्हें एक स्थान पर रखे जाने की नीति है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थी।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)